न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–147 / 2023 दायर दिनांक: 03.07.2023
GCMS NO:- 2023/256 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

किशनबाई पत्नी स्व0 नन्दसिंह जाति राजपूत नि0 बाछोला तहसील नेनवॉ वगै. (कुल 6)

– प्रार्थीगण

बनाम

नन्दभंवर आ0 छितरसिंह जाति राजपूत नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 24)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

अप्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 10 व 18 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बाछोला मे खसरा नम्बर 691 गै0मु0 चाह स्थित है जिसके खातेदार प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 10 है। खातेदार कान्हसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रत्यार्थीगण संख्या 6 लगायत 10 है। खातेदारान 1 लगायत 10 ने प्रार्थीगण बनने से इंकार कर दिया इसलिए उन्हे प्रत्यार्थीगण बनाया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कुंए पर आने जाने का रास्ता ग्राम बाछोला से भैसों का नयागांव व बडोली जाने वाले रास्ते से पश्चिम दिशा की ओर की ओर खसरा नम्बर 695 के बीच मे होकर खसरा नम्बर 696 व 694 के बीच की मेर पर होकर खसरा नम्बर 693 की दक्षिणी मेर पर होकर खसरा नम्बर 693 व 690 के बीच की मेर पर होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कुंए पर पहुंचता है जिसका नक्शा परिशिष्ट क मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के कुंए पर जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।

यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कुंए पर आने जाने कृषि उपज व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 695, 696, 694, 693, 690 मे होकर 15 फूट चौडा रास्ता दिलवाया जाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे व राजस्व नक्शे मे रास्ते की तरमीम की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 691 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ